

कम.व.
प्रति.

संलग्निका 19/JBLLP5452/27 03 2019

दिनांक- 05 05 2019

✓ श्री जानकी रमण न्यास द्वारा डायरेक्टर श्री शरदचंद्र भाई पालन
डेवलपर्स- मेसर्स श्री जानकी रमण डेवलपर्स (6-डी अनुबंध)
द्वारा श्री अनुपम कुमार पाण्डे
पता- फ्लैट नं. 403, राजुल अपार्टमेंट,
नरसिंह वाई, मदन महल जबलपुर।

Copy

विषय-

मौजा जबलपुर, नं.ब 264, प.ह.नं. 04, रा.नि.म. जबलपुर-1, महाराजपुर, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि
खसरा नं 267/1/2 का कुल रकबा- 1.304 हेक्टेयर में से रकबा- 0.800 हेक्टेयर यानि 8000 वर्गमीटर भूमि
पर शॉपिंग मॉल के निर्माण हेतु विकास अनुज्ञा वांछता।

संदर्भ :-

आपका पत्र दिनांक 27 03 2019, जानकारी प्राप्त दिनांक 29 03 2019 एवं 20/05/2019

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्तुत आवेदन में सलग्न दस्तावेजों के अनुसार लेख है, कि आवेदक श्री जानकी
रमण न्यास द्वारा डायरेक्टर श्री शरदचंद्र भाई पालन डेवलपर्स- मेसर्स श्री जानकी रमण डेवलपर्स (6-डी अनुबंध) द्वारा श्री
अनुपम कुमार पाण्डे पता- फ्लैट नं. 403, राजुल अपार्टमेंट, नरसिंह वाई, मदन महल, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत सत्यापित भूमि
स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार मौजा जबलपुर, नं.ब 264, प.ह.नं. 04, रा.नि.मं. जबलपुर-1, महाराजपुर, तहसील व जिला
जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं 267/1/2 का कुल रकबा- 1.304 हेक्टेयर में से रकबा- 0.800 हेक्टेयर यानि 8000 वर्गमीटर
भूमि पर शॉपिंग मॉल विकास हेतु अनुज्ञा चाही गयी है।

जबलपुर विकास योजना-2021 के प्रस्ताव अनुसार भूमि के सम्मुख प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई 18 मीटर निदिष्ट है
इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 15136 दिनांक 13 08 2018 के द्वारा आवासीय+ वाणिज्यिक+मार्ग भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान
कर प्रकरण में सलग्न किया गया है। प्रस्तापीन भूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक- 16/05/2019 को आवेदक के डेवलपर्स श्री
अनुपम पाण्डे की उपस्थिती में उनके द्वारा बतलाये गये स्थान का कार्यालय के श्री आर. एस. पटेल, उपयंत्री द्वारा स्थल
निरीक्षण विया गया। प्रस्तापीन भूमि वर्तमान में रिक्त है, भूमि पर मुख्यमार्ग की ओर अस्थाई शैंड निर्मित है, जिसे स्थल पर
विकास कार्य करने के पूर्व हटाया जायेगा। प्रस्तापीन स्थल बन्देवबाग से बड़ा फुहारा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है,
जिसकी विकास योजना अनुसार प्रस्तावित चौड़ाई 18.00 मीटर है तथा उपयोग वाणिज्यिक भाग होने से मार्ग चौड़ाई के बराबर
गहराई तक वाणिज्यिक शेष आवासीय भू-उपयोग विकास योजना में प्रावधानित है तथा भूमि विकास योजना अनुसार मध्य क्षेत्र में
स्थित है।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार पंजीकृत जानकी रमण लोकन्यास की निजी संपत्ति है जिसका
पंजीयन क्रमांक- 258/1955 है, माननीय न्यायालय, षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर के सिविल प्रकरण क्रमांक- 110ए/91
के निर्णय एवं डिग्री 19 जुलाई 1996 के आधार पर मालिक काबिज घोषित है। श्रीमान पंजीयक लोकन्यास, रजिस्ट्रार जबलपुर से
राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/बी-113/17-18 में पारित आदेश दिनांक- 08/06/2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक- 12/07/2018 के
आधार पर श्री जानकी रमण लोकन्यास को बहुमंजिला भवन निर्माण करने एवं विक्रय करने की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदाय
की गई। विषयांकित भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण किये जाने के संबंध में श्री जानकी रमण लोकन्यास कि बैठक दिनांक
24/03/2018 में पारित किये गए निर्णय अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व के समक्ष विधिवत् आवेदन धारा 13 एवं 14 म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत पेश किया, फलस्वरूप
न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कोतवाली जबलपुर के प्रकरण क्र. 03/बी-113/17-18
18 दिनांक 12/07/2018 में वर्णित लेख के अनुसार स्थानीय दैनिक समाचार पत्र नवभारत, जबलपुर में दिनांक 03/05/2018
को प्रकाशन कर दावे आपत्तियां आमंत्रित कर तथा वर्णित विन्दु क्र. 1 के अनुसार बहुमंजिला भवन निर्माण की अनुमति प्रदान

Signature Valid

Digitally signed by ZEERAJ ANAND

Date: 2019.05.25 13:27:55 IST

102

गई प्रदेश की कंडिका 1 के अनुसार न्याय की प्रशासकीय भूमि पर प्रस्तावित ले-आउट इस कार्यालय से एवं नगर पालिका निगम से स्वीकृत कराने की शर्त अधिरोपित की गई है। साथ ही कंडिका 5 में उक्त बहुमंजिला निमोन में होने वाली भूमि से उल्लेखित क्षेत्र की भूमि श्री जानकी रमण लोकन्यास के तामाश से आवश्यकतानुसार कच करेगा व कच भूमि का पास पत्ती में न्याय संपत्ति के रूप में इदाज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत स्तम्भित दस्तावेजों एवं शपथ पत्र दिनांक 27/03/2019 तथा आवेदक का कॉलोनाइजर लाईसेंस क्र. 286, दिनांक- 10/09/2018, नजूल अनापत्ति क्रमांक- 155 दिनांक- 23/06/2018, जबलपुर विकास पाधिकरण जबलपुर के पत्र क्रमांक 218 दिनांक 08/06/2018 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया, स्थल सीमांकन प्रतिवेदन प्रकरण क्रमांक- 0006/अ-12/2017-18 दिनांक-11/10/2018 तथा मरपूछो विक्रि के पत्र क्र. 830, दिनांक- 18/06/2018 को अनापत्ति प्रदान की गई है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में एवं आपके सटम्भित आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर 18 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग में अधिकतम 18 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकास योजना की सारिणी 3-सा-5 के अनुसार बलदेवबाग से बड़ा फुहारा मार्ग 18.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1351 दिनांक 28/04/2018 के द्वारा मार्ग के समानांतर वाणिज्यिक शेष आवासीय भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा- 23 सहपठित धारा-19 की उपधारा-4 के अधीन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मार्च 2019 में किया गया है जिसकी सरल क्र. 03 की सारिणी क्र. 4-सा-17 के क्रमांक 032 "उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति" के अंतर्गत आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत शॉपिंग मॉल स्वीकार्य है जो कि अंगीकृत जबलपुर विकास योजना का एकीकृत भाग माना गया है।

उपरोक्त शासन द्वारा किये गए उपांतरण के परिपेक्ष्य में विषयांकित भूमि का प्रस्तुत स्थल मानचित्र जो कि म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-29(1) के तहत आवेदन में संलग्न सत्यापित स्वामित्व दस्तावेजों (विक्रय पत्र) शपथ पत्र दिनांक 27/03/2019 को प्रस्तुत किया गया है आवेदक द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव को म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30(1)(ख) के निदिष्ट प्रावधानों एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम 2(5)(क) एवं नियम 27 के अधीन प्रस्तुत स्थल मानचित्र अनुमोदित कर वर्णित शर्तों के साथ म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से विकास निमोन अनुज्ञा से पूर्व अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा-

अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172

ब. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1956 (क्र.-23 सन्-1956)

स. नजूल विभाग जबलपुर

द. अन्य किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

2. विषयांकित भूमि के सामने मुख्य मार्ग 18 मीटर है उक्त मार्ग के मध्य से 9-0 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा, तथा मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। वर्तमान स्थित या राजस्व अभिलेखों के अनुसार जो अधिक मार्गाधिकार की उपलब्धता होगी वह भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा।

3. आवेदक द्वारा स्वयं के द्वारा विषयांकित स्थल पर निम्नानुसार मापदंड प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि अधिकतम भूतल निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा। सीमांत खुले क्षेत्र, सामने से 12 मीटर एवं अन्य तीन ओर 7.5-7.5 मीटर संलग्न मानचित्र अनुसार होंगे। फर्शतल अनुपात 1.5 (मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के प्रावधानों के अंतर्गत) एवं भवन की अधिकतम उंचाई 24 मीटर (मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के प्रावधानों के अंतर्गत) होगी जो कि विकास योजना के मापदंडों के अंतर्गत स्वीकार्य है।

Signature valid
Digitally signed by GERAJANAND
LIKHAR
Date: 2019.05.25 13:27:55 IST

132

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 73 के अनुसार मेजेन्ट्रल तल का कुल क्षेत्रफल किसी भी स्थिति में उस कमर की कुली क्षेत्र के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा, जिसमें कि यह व्यवस्था की गई है, तथा इसकी न्यूनतम ऊंचाई 2.2 मीटर होगी।

5 तलघर का निर्माण एवं उपयोग मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 76 के अनुसार करना होगा तलघर का उपयोग केवल वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा।

6 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 56(6) के प्रावधानों के अंतर्गत सलग्न मानचित्र अनुसार भीतरी खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य होगा।

7 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84(2) के प्रावधानों के अंतर्गत पार्किंग संरचना के निमित्त क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत का, वाणिज्यिक गतिविधियों में सलग्न मानचित्र अनुसार प्रयोग किया जा सकेगा।

8 म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 (1) परिशिष्ट झ-1 की कड़िका झ-8 के अनुसार तलघर में पयोपल चौड़ाई तथा ढाल के कम से कम दो राफटो (ढाल मार्गों) की व्यवस्था की जाएगी जो प्राथमिकता के आधार पर परस्पर विरोधी ओरों पर हो तो 1.10 मीटर से अधिक ढाल की जाएगी। तथा परिशिष्ट झ-2 के अनुसार पार्किंग की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि खुले स्थान का न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थान लैंडस्केपिंग (नर्म सतह) के लिए छोड़ा जा सकेगा और उसे पार्किंग की गणना में न लिया जाए।

9 आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ब्लॉक-बी में वाहन पार्किंग हेतु आरक्षित रखा गया है, जिसके लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84(2) के प्रावधानों के अंतर्गत मल्टीलेवल सार्वजनिक पार्किंग के प्रावधानों निर्धारित किया गया है। उक्त नियम अंतर्गत अन्य मापदण्ड प्रावधान अनुसार आवेदक को भवन निर्माण अनुमति के समय निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10 स्थल पर मौजूद बड़े वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना अनिवार्य है।

11 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 47 के अनुसार सामुदायिक खुला स्थान निर्धारित किया गया है जिसका विकास लोकन्यास द्वारा किया जायेगा।

12 स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

13 इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का विभाजन मान्य नहीं होगा।

14 म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, जिसका पालन आवेदकों को आवश्यक रूप से करते हुए नियम-88 अनुसार भूकम्परोधी तकनीक से निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

15 म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-52 के अनुसार विद्युत लाईन संबंधी नियम का पालन आवेदक को सुनिश्चित करना होगा।

16 म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।

17 जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियां यदि आवश्यक होगी तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18 प्रस्तुत कोई दस्तावेजों एवं स्थल मानचित्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं साक्ष्य में विसंगति होने या पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके वास्तुविद की होगी।

19 इस मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं होगा तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदक भूमि का व्यवर्तन व कालोनाईजर नियम-1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।

Signature valid
Digitally signed by VEERAJ ANAND
LIKHAR
Date: 2019.05.25 13:27:55 IST

16

10 जल-मल निवेश, वर्ष के अंत की निकासी तथा जल-मल सवहन की व्यवस्था नगर पालिका निगम, जबलपुर के निदेशन व निर्धारित मानकों व आगुदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जाएगी।

21 आवेदक को सलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-84 के पारेशिप अ-1 एवं अ-2 के प्रावधानों अनुसार अतिशेष पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमात खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा एवं इस प्रावधान को योजना में नियमानुसार क्रियान्वित कराये जाने का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन के आंतरिक प्रस्ताव अनुमोदित किये जा सकेंगे। साथ ही नियम 84 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पार्किंग हेतु अन्य प्रावधान सक्षम प्राधिकारी (भवन अधिकारी) द्वारा स्वयं के स्थल पर सुनिश्चित किया जायेगा।

22 यह अनुज्ञा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार 03 वर्ष हेतु विधिमानी रहेगी इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पुन विधि मान्य कराना होगा एवं पुन विधिमानीकरण लगातार दो अवधियों के लिए जिसमें प्रत्येक अवधि 1 वर्ष की किया जा सकेगी।

23 विकास हेतु अनुमोदित स्थल मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत भवन अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व-विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में भवन अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुन सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।

24 अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, पहुच मार्ग विवाद उत्पन्न होने की दशा में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत, कोई भी कथन जो शपथपत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर या भूखण्ड किसी भवन के खुले क्षेत्रों में पाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

सलग्न - एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर

दिनांक 25/05/2019

पृ0क्रमांक/नयानि/19/JBLLP5452/27.03.2019

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त नगर पालिका निगम जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1956 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों का आवेदक से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पेषित।

2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. नजूल अधिकारी जबलपुर।

4. तहसीलदार जिला जबलपुर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

सलग्न - एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

Signature valid
Digitally signed by NEERAJ ANAND
LIKHAAR
Date: 2019.05.25 13:27:55 IST